यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के माह 11/2019 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीपीएस नेगी, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.03.2021 से 15.03.2021 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री डी.के.मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.11.2019 से 26.11.2019 तक श्री आई.के.जुयाल, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2018 से 10/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान मे माह 11/2019 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई द्वारा मुख्यत: छात्रवृत्ति, पेंशन, अवस्थापना सुविधा/शादी अनुदान/अटल आवास इत्यादि योजनाओ से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद टिहरी गढ़वाल है।

(ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (समाज कल्याण विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2225,2235,4225	7396.15	7326.04	70.11
2018-19	2225,2235,4225	7576.13	7278.60	297.53
2019-20	2071,2225,2235,2515,4225	7275.38	7393.89	-118.51
2020-21 (02/2021)	2225,2235,2071,2515,4225	5195.87	3950.43	1254.44

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अंतिम अवशेष (बैंक में)
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020-21 (2/21)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'B' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत है:-

1. सचिव, समाज कल्याण
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. सयुक्त निदेशक
6. उप निदेशक
7. सहायक निदेशक
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी
9. अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी
10. सहायक समाज कल्याण
11. मिनिस्टीरियल संवर्ग
12. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** के 11/2019 से 02/2021 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 03/2020 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-02 (ब)

प्रस्तर:-1 इकाई द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत रु0 7.00 लाख अनियमित भुगतान पाया जाने के सम्बंध मे ।

According to circullur No-11012/1/2013-NSAP of GOVT OF INDIA ministry of rural development dated-13/03/14 -

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना केवल बी.पी.एल. श्रेणी हेतु लागू है, जिसमें रु० 20000/- की एक मुश्त सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ/मुख्य साधक मुखिया (पुरुष/महिला) की मृत्यु के पश्चात मृतक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत कमाऊ मुखिया (पुरुष/ महिला) की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** के वर्ष-2017-18 से2020-21 के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा क्रमश: वर्ष -2019-20 मे अनुदान संख्या -30 के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि र 1.00 लाख के सापेक्ष पूरे वर्ष मे शून्य धनराशि का व्यय किया गया था तथा उक्त योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया गया गया था । आवंटन/प्राप्ति का विवरण निमन्वत है :-

क्रमसंख्या	वर्ष	अनुदान संख्या	निर्गत धनराशि (लाख) मे)	व्ययधनराशि लाख) मे	स्वीकृत लाभार्थि	अवशेषधनराशि (लाख) मे
01	2017-18	15	12.40	12.40	62	0.00
-	2017-18	30	1.80	1.80	09	0.00
02	2018-19	15	27.80	27.80	139	0.00
-	2018-19	30	1.80	1.80	97	0.00
03	2019-20	15	7.60	7.60	38	0.00
-	2019-20	30	1.00	-	-	1.00
04	2020-21	15	78.00	-	-	78.00

आगे सम्प्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया कि अपर सचिव, समाज कल्याण के पत्र संख्या /142पी . 19-एस./स.क./रा.पा.ला.यो./2018 दिनांक 07 सितम्बर 2018 द्वारा स्पष्ट आदेश दिये गए थे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। परंतु इकाई द्वारा उक्त योजना से संबन्धित अभिलेखो को सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि अपने बी.पी.एल प्रमाणपत्र एवं बी.पी.एल कार्ड अपने आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये थे,उक्त प्रपत्रों की वैधता अवधि का भी नवीनीकरण भी उनके द्वारा नहीं कराया गया था तथा उनके समस्त आवेदन पत्रो के साथ सलंग्न बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 अंकित पाया गया जबकि उक्त बीपीएल कार्ड का सर्वेक्षण वर्ष-2011 संशोधित किया जा चुका है ,जो लाभार्थियो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रो मे अंकित नहीं पाया गया था तथा समस्त लाभार्थियो को

वर्ष-2002 सर्वेक्षण वर्ष सलंग्न कर उक्त योजना का लाभ लिया गया था जो नियमो के प्रतिकूल पाया गया । सम्प्रेक्षा द्वारा उक्त योजना से संबन्धित प्रपत्रों की जांच मे यह भी पाया गया कि लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड ,परिवार पंजिका ,आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी । उक्त योजनान्तगर्त धनराशि का भुगतान ऑनलाइन/डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते मे किया जायेगा तथा कोई भी अनियमित भुगतान नहीं किया जायेगा तथा लाभार्थियों के खातो को आधार से जोड़ा से जोड़ा जायेगा , परंतु उक्त योजना की संप्रेक्षा जांच मे कई लाभार्थियों द्वारा इकाई को प्रस्तुत आवेदनो के आधार कार्ड सलग्न नहीं पाये गये , जबकि शासनादेश संख्या-780/XVII-4/2017-1(17)/2017 के अनुसार वर्ष 2017-18 से किसी भी योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के लाभार्थियों की आयु की जांच संदिगता के दायरे मे आती है । सम्प्रेक्षाजांच मे यह भी पाया गया कि कई आधार कार्ड/परिवार पंजिका ऐसे भी लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये जिसमे उनकी जन्म तिथि- दिन, महीने एवं साल के अनुसार दर्ज नहीं पायी गयी तथा कई प्रकरणो मे लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये आधार कार्ड मे अलग एवं अन्य प्रपत्र मे भिन्न नाम से दर्ज किया गया था । जिसका विवरण निम्नवत है, जो अनुलग्नक-Iमे दिया गया है। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उक्त योजनान्तगर्त धनराशि का भुगतान ऑनलाइन/डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते मे किया जाना अपेक्षित था परन्तु विभाग द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर लाभार्थियों को NEFT पद्धति से भुगतान किया गया था ।सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे यह भी पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान के सम्बंध मे कोई monitoring तंत्र विभाग स्तर पर स्थापित नहीं किया गया था ,न ही लाभार्थि इस योजना हेतु पात्र था या नहीं इस आशय की सक्षम/भुगतान अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रो पर कोई टिप्पर्णी अंकित करना सम्प्रेक्षा द्वारा नहीं पाया गया था ।

सम्प्रेक्षा द्वारा उक्त योजना मे व्याप्त **₹7.00** लाख **के अनियमित भुगतान** के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से **पूछने पर** विभाग द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया कि प्रकरण की जांच करने के उपरान्त अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाएगी । उक्त प्रकरण मे **जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** का उत्तर ही सम्प्रेक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>अनुलग्नक :-I</u>

क्र0	**वर्ष**	**लाभार्थी का नाम**	**मृतक का नाम**	**लाभार्थियों को भुगतान की गयी अनुदान की धनराशि (₹)**	**राष्ट्रीयपारिवारिकलाभयोजना के अन्तर्गत अनियमितितायें के सम्बंध मे निम्न** लाभार्थियों **द्वारा प्रस्तुत आवेदनो की नमूना जांच ।**
1.	2018-19	श्रीमति राजेश्वरी देवी	स्वर्गीय किशन सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया ।
2.	2018-19	श्रीमति विजय देवी	स्वर्गीय जसपाल सिंह	20000.00	परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया । मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया ।
3.	2018-19	श्रीमति गंगा देवी	स्वर्गीय बुद्धि राम	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया ।
4.	2018-19	श्रीमति मंगसीरी देवी	स्वर्गीय सूरत सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं

					बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया ।
5.	2018-19	श्रीमति सुनीता देवी	स्वर्गीय बलवीर सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
6.	2018-19	श्रीमति कमला देवी	स्वर्गीय सुन्दर सिंह	20000.00	बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
07	2018-19	श्रीमति हर्षो देवी	स्वर्गीय राकेश प्रसाद	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
08	2018-19	श्रीमति फ्योली देवी	स्वर्गीय चंडी प्रसाद	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया

					गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
09	2018-19	श्रीमति मदन देई देवी	स्वर्गीय विजय सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
10	2018-19	श्रीमतिसुमित देवी	स्वर्गीय भूप सिंह	20000.00	बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है बीपीएल की वैधता का नवीनीकरण नहीं पाया गया ।
11	2018-19	श्रीमति पार्वती देवी	स्वर्गीय रविन्द्र सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया । मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया।
12	2018-19	श्रीमति जगदंबा देवी	स्वर्गीय धनपत सिंह	20000.00	**बीपीएल कार्ड का नवीनीकरण होना दिनाक-31/03/16 के बाद नहीं पाया गया ।** परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।

13	2018-19	श्रीमति सुदामा देवी	स्वर्गीय रमेश सिंह	20000.00	**बीपीएल कार्ड का नवीनीकरण होना दिनाक-31/08/15 के बाद नहीं पाया गया ।** परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया । मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया।
14	2018-19	श्रीमति मंजु देवी	स्वर्गीय प्रेम लाल	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया ।** परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
15	2018-19	श्रीमति	स्वर्गीय जय सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया ।** परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
16	2018-19	श्रीमति बिन्दा देवी	स्वर्गीय शिव सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया ।** बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है
17	2018-19	श्रीमति सुमेरी देवी	स्वर्गीय भगवान सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।** आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता दिनाक-31/03/2017 के बाद अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया।
18	2018-19	श्रीमति आशा देवी	स्वर्गीय प्यारा सिंह	20000.00	आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता दिनाक-31/03/2016 के बाद अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया । । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
19	2018-19	श्रीमति मुन्नी देवी	स्वर्गीय जयवीर सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।**आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता दिनाक-

					31/03/2015 के बाद अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया
20	2018-19	श्रीमति इंद्रा देवी	स्वर्गीय गंभीर सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया । मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया।
21	2018-19	श्रीमति सीता देवी	स्वर्गीय नत्था सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया । मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया।
22	2019-20	श्रीमति प्यारा देवी	स्वर्गीय लुदी दत्त	20000.00	मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया, बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया । मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया।**का उल्लंघन था ।** आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया

					गया ।
23	2019-20	श्रीमति कमला देवी	स्वर्गीय रामचन्द्र	20000.00	**-d0-**
24	2019-20	श्रीमति कुन्ती देवी	स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह राणा	20000.00	-d0-
25	2019-20	श्रीमति विनीता देवी	स्वर्गीय महिपाल सिंह	20000.00	आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधतामाह-07/16 के बाद अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया लाभार्थी के आधार कार्ड मे मृतक का नाम का अंकन नहीं पाया गया ।
26	2019-20	श्रीमति चैना देवी	स्वर्गीय हीरा मणि सेमवाल	20000.00	वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं बीपीएल कार्ड को नवीनीकरण/अधतन करना नहीं पाया गया । परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया । मृतक का आधार कार्ड आवेदन पत्र के साथ सलग्न नहीं पाया गया **का उल्लंघन था ।** आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।
27	2019-20	श्रीमति संतोषी देवी	स्वर्गीय सोनपाल सिंह	20000.00	परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
28	2019-20	श्रीमति सुमित्रा देवी	स्वर्गीय रामचन्द्र	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।** आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।

29	2019-20	श्रीमति डब्बा देवी	स्वर्गीय धूम सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।** आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया। परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित करना नहीं पाया गया ।
30	2019-20	श्रीमति मुकन्दी देवी	स्वर्गीय दरबान सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्र मे जन्म तिथि manupalate पायी गयी ।**
31	2019-20	श्रीमति सुनीता देवी	स्वर्गीय दिनेश सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।** आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया । वर्ष-2002 को आधार मानकर लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया जबकि बीपीएल कार्ड मे सर्वेक्षण वर्ष-2011 सरकार द्वारा संशोधित किया जा चुका है
32	2019-20	श्रीमति बबीता	स्वर्गीय आशीष सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।**
33	2019-20	श्रीमति लीला देवी	स्वर्गीय पुरोषोत्तम सिंह	20000.00	**मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।** आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया
34	2019-20	श्रीमति गुड्डी देवी	स्वर्गीय तारा चन्द्र	20000.00	आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया
35	2019-20	श्रीमति मकानी देवी	स्वर्गीय बैशाखी सिंह	20000.00	आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।परिवार रजिस्टर मे जन्म तिथि माह व दिनाक मे अंकित

					करना नहीं पाया गया ।
				योग-700,000.00	

भाग-2'ब'

प्रस्तर:2 भौतिक सत्यापन कार्य के लिए निर्धारित समय सीमा का अनुपालन न होने के फलस्वरूप आवंटित छात्रवृति मद की धनराशि रु33.45 लाख का प्रयोजन पूर्ण नहीं पाया जाना।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी की लेखापरीक्षा में छात्रवृति से संबन्धित पत्रावली जांच में पाया गया कि शासनादेश सं xvii-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी 2018 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 से समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को अपना पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल https://scholarship.gov.in पर करना आवश्यक होगा जिसके लिए समय-सारिणी का निर्धारण का विभाग की ओर से उल्लेख पाया गया। इस संबंध में नमूना जांच के तहत वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के आंकड़ों का अध्ययन मे देखा गया की जनपद मे शासकीय आदेश के अंतर्गत कि जाने वाली शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन कि प्रक्रिया फरवरी तथा मार्च माह के दौरान किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2019-20 के सत्यापित प्रकरण वितीय वर्ष 2020-21 के फरवरी माह तक लम्बित पाये गए। वर्षान्त अल्प अवधि होने के कारण सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण योजना की राशि उक्त वर्ष आहरित करने के बावजूद उपभोग नहीं की जा सकी। वितीय वर्ष 2020-21 का सत्यापन कार्य भी फरवरी 2021 तक शून्य होने के कारण उक्त वर्ष की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच के रूप मे जांच अधिकारियों के सत्यापित रिपोर्ट की जगह इकाई द्वारा कम्प्युटराइज़ड़ रिपोर्ट का रखरखाव पाया गया जिसमे दिशानिर्देश के अनुसार निवास, जाति, आय, हाईस्कूल तथा आधारकार्ड प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता पायी गयी तथा आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता की टिप्पणी दर्ज के बावजूद भी जांच अधिकारी द्वारा छात्रवृति प्रदान करने की संस्तुति प्रदान करने का प्रकरण पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य मे चेक लिस्ट के अनुरूप भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन का कार्य संबन्धित बजट वर्ष के भीतर पूर्ण कराने हेतु जनपद मे सत्यापन कार्य हेतु नामित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के त्वरित कार्यवाही की जाएगी। वर्ष 2019-20 का ऑनलाइन वेरिफिकेसन तिथि 09/03/2021 निर्धारित थी, संबन्धित वर्ष का भौतिक सत्यापन का कार्य वर्ष 2020-21 मे पूर्ण कराया गया है एवं वर्ष 2019-20 के पंजीकृत छात्रों हेतु बजट 2020-21 मे प्राप्त हुआ। भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, दिशानिर्देश के अनुसार छात्रवृति बजट आवंटन का उपभोग संबन्धित वर्ष में पूर्ण न होने पर धनराशि समर्पित हो जाएगी, भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन तिथि का निर्धारण विभाग की सहमति के पश्चात तय करने की प्रक्रिया है, फिर समय से भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारम्भ न कर वितीय वर्ष 2019-20 का सत्यापन कार्य वितीय वर्ष 2020-

21 के वर्षान्त तक जारी रखना तथा लक्ष्य से पीछड़ना नियोजन की कमी पायी गयी। लेखापरीक्षा अवधि की सत्यापित जांच रिपोर्ट के आवश्यक दस्तावेजों से संबन्धित पत्रावलियों का भौतिक रखरखाव न कर निरीक्षण की कार्यवाही मे पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कराये जाने का प्रकरण पाया गया। अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 3:- सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अन्तर्गत रु 2.00 करोड़ की हस्तगत हास्टल का संचालन नियमानुसार नहीं पाया जाना।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी की पत्रावली जांच मे ज्ञात हुआ कि ग्रामीणों की मांग के मध्यनजर कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र/छात्राओं को शहरी क्षेत्र मे अध्ययन के दौरान होने वाली परेशानी के मध्यनजर रखते हुये नई टिहरी ढूंगीधार मे लगभग 2.00 करोड़ की लागत से सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा टी एच डी सी द्वारा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर छात्रावास का निर्माण किया गया जिसके संचालन के लिए नियमानुसार हस्तानांतरण समाज कल्याण विभाग को दिनांक 24.09.2013 को कर दिया गया। आगे जांच मे पाया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बिना कर्मचारियों एवं वित्त के छात्रावास के संचालन मे असमर्थता प्रकट की गयी तथा छात्रावास समिति ढूंगीधार बौराड़ी की मांग पर विभाग द्वारा इस शर्त के अधीन अधिकृत किया गया कि उक्त छात्रावास का संचालन समिति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जायेगा जिसमे निर्देशित किया गया कि (1) शासन एवं विभाग से किसी वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया जायेगा (2) फिलहाल छात्रावास 01 वर्ष के लिए संचालन हेतु दिया गया है (3) छात्रावास कि मोनिट्रिंग विभाग द्वारा की जाएगी। संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि इस संबंध मे टी एच डी सी द्वारा अपने पत्र मे उल्लेख किया गया कि समाज कल्याण विभाग/समिति द्वारा हॉस्टल संचालन हेतु सेवा-टी एच डी सी की, हॉस्टल के संबंध मे सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। अतः हॉस्टल संचालन की पूर्ण ज़िम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है। अभिलेख के अनुसार वर्ष 2016 मे 01 वर्ष के लिए विभाग द्वारा हॉस्टल संचालन के लिए समिति से अनुबंध किया गया था, परंतु वर्ष 2017 के बाद लेखापरीक्षा तिथि तक हॉस्टल संचालन के लिए अनुबंध अप्रभावी पाया गया। हॉस्टल कि मोनिट्रिंग विभाग द्वारा नहीं कि जा रही थी तथा हॉस्टल की निगरानी के लिए कोई विभागीय दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं पाये गये।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि यह एक विभागीय निर्णय था जिसमे जनपद कार्यालय की कोई भी भूमिका नहीं थी। समिति द्वारा भवन के रखरखाव तथा उसपर किये गये व्यय इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस संबंध मे विभाग द्वारा दिशानिर्देश नहीं प्राप्त हुआ जिस कारण से समिति से उठाए गये प्रकरण पर पत्राचार किया जाना सम्भव नहीं था।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, एन जी ओ को हॉस्टल संचालन हेतु लिए गये निर्णय मे विभाग द्वारा सेवा टी एच डी सी का विचार प्राप्त नहीं किया जाना, हॉस्टल संचालन मे समिति के क्रियाकलापों की समीक्षा कार्यों मे विभाग द्वारा बिल्कुल उदासिनता बरतना तथा अप्रभावी अनुबन्ध

के बावजूद समिति द्वारा हॉस्टल का संचालन किया जाना छात्रावास की अवधारणा प्रभावित होने का प्रकरण पाया गया। अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:4 अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी धनराशि ` 38.36 लाख के 05 कार्यों को अपूर्ण रखा जाना।

अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति के है, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना/निर्माण कार्य संचालित की जाती है। स्वीकृत परियोजना की धनराशि कार्यदायी संस्था को 50-50 प्रतिशत की दो समान किस्तों मे अवमुक्त की जाएगी। दूसरी किस्त का भुगतान प्रथम किस्त की धनराशि 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं योजना की प्राप्त धनराशि के व्यय प्रपत्र कार्यालय को प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। कार्यालय द्वारा उतनी ही धनराशि आहरित की जाएगी जितनी कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की जानी है। किसी भी दशा मे धनराशि आहरित कर बैंक मे नहीं रखी जाएगी। कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किए जाने की समय-सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए चयन समिति द्वारा निश्चित की जाएगी।योजना के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मासिक अनुश्रवण किया जाएगा तथा मासिक प्रगति विवरण निदेशालय/शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। अवस्थापना मद के अंतर्गत सृजित समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु गठित टास्कफोर्स के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिलाधिकारी पृथक से जनपद स्तर पर अधिकारियों की विशेष सत्यापन टीम के माध्यम से पिछले वर्ष कराये गए कार्यों का कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी करवायेंगे।

लेखापरीक्षा द्वारा अवस्थापना निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों/प्रगति रिपोर्ट की नमूना जांच मे पाया गया कि:

1) अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनांतरगत वित्तीय वर्ष 2018-19 मे स्वीकृत तीन मे से निम्न दो कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण पाये गए:

(`लाख मे)

योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	निर्माण एजेंसी को अवमुक्त धनराशि		व्यय धनराशि	व्यय हेतु अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त			
ग्राम पंचायत द्वारगढ़ तोक चमोलीय से उत्तम पुरी संपर्क	9.07	4.54	00	4.54	4.54	50 प्रतिशत

मार्ग एवं सुरक्षा दीवार निर्माण, जौनपुर						
ग्राम पंचायत डलमाली के ग्राम दौड़का मे बारातघर निर्माण, थौलधार	12.00	6.00	00	6.00	6.00	50 प्रतिशत

2) इसी प्रकार अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनांतरगत वित्तीय वर्ष 2019-20 मे स्वीकृत चार मे से निम्न तीन कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण पाये गए:

योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	निर्माण एजेंसी को अवमुक्त धनराशि		व्यय धनराशि	व्यय हेतु अवशेष धनराशि	कार्य की स्थिति
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त			
ग्राम ल्वार्खा (खाल) मे सीसी मार्ग निर्माण, प्रतापनगर	4.95	2.47	00	2.47	2.48	50 प्रतिशत
ग्राम सौन्दी मे अनुसूचित जाति वस्ती मे सीसी मार्ग निर्माण, प्रतापनगर	4.97	2.49	00	2.49	2.48	50 प्रतिशत
ग्राम चामथरी मे सीसी खड़िञ्जा/रेलिंग निर्माण, चम्बा	7.37	3.69	00	3.69	3.68	50 प्रतिशत

3. अभिलेखों की जांच मे उक्त कार्यों का समझौता ज्ञापन निर्माण इकाई एवं ग्राहक विभाग के मध्य संपादित किया जाना नहीं पाया गया।

4. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि के उपयोग से संबन्धित व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई को प्रस्तुत नहीं किए गया था।

5. इकाई द्वारा निर्माण इकाई को स्वीकृत धनराशि की दूसरी किस्त निर्गत नहीं किया गया था।

6. उक्त निर्माण कार्यों की द्वितीय किस्त की धनराशि `19.19 लाख कार्यालय स्तर पर बैंक खाते मे अवशेष पड़ी हुयी है।

7. लेखापरीक्षा मे उक्त कार्यों की निरीक्षण रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन के अभिलेख नहीं पाये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विंदुओं को इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि:

विंदु संख्या 01 & 02: कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था से पत्राचार किया जा रहा है।

विंदु संख्या 03: भविष्य मे एमओयू संपादित किया जाएगा।

विंदु संख्या 04, 05 & 06: कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त की UC प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण द्वीतीय किस्त की धनराशि निर्गत नहीं किए गए जिसके कारण धनराशि बैंक खाते मे अवशेष पड़े हुए है।

विंदु संख्या 07: निरीक्षण रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कार्य पूर्ण के पश्चात उपलब्ध होगे।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य स्वीकृत वित्तीय वर्ष मे पूर्ण किया जाना अनिवार्य था। अतः लेखापरीक्षा द्वारा उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य के प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर:-5 इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा को ₹ 1.24 करोड़ के वाउचर की **प्रस्तुति न करना एवं विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियो के ऑनलाइन डी0बी0टी0 भुगतान के उपरान्त वाउचरों की प्रविष्टि रोकड़ वही मे करना नहीं पाया जाना ।**

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रविधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म जी0ए0आर0-3 मे रोकड़ वही का रख-रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन-देनो के घटित होने पर उसमे प्रविष्ट करेगा । माह के अन्त मे रोकड़ बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाणपत्र स्वहस्तालेख मे अंकित करेगा । इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या -3/**XXVII**(6)/2013 दिनाक-02/01/2013 के बिन्दु संख्या -4.9 मे ई-पेमेंट प्रणाली मे दिये गए दिशा-निर्देश के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबन्धित के बैंक खाते मे अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखो यथा 11-सी पंजिका ,रोकड़ वही , बिल पंजिका आदि मे इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेगे ।

कार्यालय **ज़िला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल** के विस्तृत जांच हेतु चयनित माह -03/2020 की विस्तृत जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा विभाग मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियो के वेतन बिलो की प्रविष्टि विभाग स्तर पर करना नहीं पाया गया ।आगे संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा विस्तृत जांच हेतु चयनित माह -03/2020 के निम्नलिखित बिल/वाउचर सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत करना नहीं पाया गया ,जिनका विवरण निमन्वत है :-

क्रमसंख्या	माह का नाम	वाउचर न0	धनराशि (र)
01	03/20**20**	01	16205.00
02	**03/2020**	30	1560.00
03	**03/2020**	108	717210.00
04	**03/2020**	38	4000.00
05	03/2020	59	73,**540**
06	03/2020	64	4334.00
07	03/2020	65	4000.00
08	03/2020	66	2000.00

09	03/2020	67	7497000.00
10	03/2020	70	4000.00
11	03/2020	71	6000.00
12	03/2020	72	10000.00
13	03/2020	73	20,**000.00**
14	03/2020	74	2000.00
15	03/2020	75	41212.00
16	03/2020	77	800000.00
17	03/2020	78	160,**000.00**
18	03/2020	79	7000.00
19	03/2020	01	2729000.00
20	03/2020	24	390340.00
		योग	12489401.00

सम्प्रेक्षा द्वारा शासन के पत्रांक संख्या -3/**XXVII**(6)/2013 दिनाक-02/01/2013 के उल्लंघन के सम्बंध मे इंगित करने एवं पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को भविष्य मे उक्त शासनादेश के अनुपालन करने हेतु अवगत कराया गया है । सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं पाया गया क्योंकि प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रविधानों के अनुसार स्पष्ट प्रविधानित किया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म जी0ए0आर0-3 मे रोकड़ वही का रख -रखाव वाउचर की प्रस्तुति के साथ करेगा तथा समस्त वितीय लेन-देनो के घटित होने पर उसमे प्रविष्ट करेगा क्योंकि विभाग जालसाज़ी एवं गबन की संभावना बनी रहती है । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'	STAN
01/2009-10	01	1,2,	-
2011-12	-	1,2	-
2012-13	01	1,2,3	-
114/2017-18	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	01
207/2018-19	01	1,2,3,4,5,6	-
157/2019-20	01	1,2,3,4,5,6	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
01/2009-10	भाग-दो-अ-01 भाग-दो-ब- 01 एवं 02	कार्यालय द्वारा अध्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।	अध्यतन अनुपालन आख्या के अभाव मे प्रस्तर यथावत रहेगा	यथावत
2011-12	भाग-दो-ब- 01 एवं 02	तदैव	तदैव	यथावत
2012-13	भाग-दो-अ-01 भाग-दो-ब- 01,02 एवं 03	तदैव	तदैव	यथावत
114/2017-18	भाग-दो-ब- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 एवं 11 STAN - 01	तदैव	तदैव	यथावत
207/2018-19	भाग-दो-अ-01 भाग-दो-ब- 1,2,3,4,5 एवं 6	तदैव	तदैव	यथावत
157/2019-20	भाग-दो-अ-01 भाग-दो-ब- 1,2,3,4,5 एवं 6	तदैव	तदैव	यथावत

उक्त के संबंध मे इकाई द्वारा बताया गया कि लंबित प्रस्तरों की अध्यतान अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी से संस्तुत कराकर महालेखाकर लेखापरीक्षा कार्यालय को निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
01	श्री अविनाश सिंह भदौरिया	जिला प्रोबेशन अधिकारी (टि.ग.) (अतिरिक्त प्रभार)	26.10.2018 से 22.09.2020
02	श्री दीपांकर घिल्डियाल	अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी (टि.ग.)	23.09.2020 से 03.12.2020
03	श्री किशन सिंह चौहान	सहायक समाज कल्याण अधिकारी(टि.ग.)	04.12.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए॰एम॰जी॰1), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, “महालेखाकार भवन”, कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-I